

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. R. GANESH: I move:

"That the Bill, as reported by the Select Committee, be passed."

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as reported by the Select Committee, be passed."

The motion was adopted.

15.59 hrs.

KHADI AND OTHER HANDLOOM INDUSTRIES DEVELOPMENT (ADDITIONAL EXCISE DUTY ON CLOTH) AMENDMENT BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE): Mr. Deputy Speaker, Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953, be taken into consideration."

The Bill seeks to amend the provisions of section 3 and section 5(2) (e) of the present Act.

15.59-1½ hrs.

(SHRI K. N. TIWARY in the Chair)

Before I explain the precise objective and scope of the Amendment, may I, with your permission, take this opportunity to refer to the background in which the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act was enacted in 1953. In 1952 there was a serious crisis in the khadi and handloom industries. There was considerable accumulation of handloom

cloth in the country. The matter was considered by the Government and it was decided *inter alia* that these industries needed assistance for research, design, supply of yarn and marketing. In order to finance these programmes, it was decided to levy a cess of 3 ples per yard on all mill-made cloth and to utilise the proceeds of this cess for the above purpose of development of Khadi and handloom industries. It was against this background that the Khadi and Other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953 was enacted. The cess was collected by Government agencies and the proceeds were deposited in the Consolidated Fund of India. Assistance to the Khadi and other handloom industries is given out of the Consolidated Fund of India.

16 hrs.

The Khadi and Other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953 empowered the Government to levy additional excise on all varieties of fabrics produced by the factories. Section 3 of the Act provides for the levy of additional duty of excise on cloth. According to this section there shall be levied and collected on all cloth manufacture or cloth lying in stock in any factory, a duty of excise at the rates specified therein. The proviso to this Section prohibits the imposition of any such duty on cloth which is exported out of India. In pursuance of the proviso, no duty was levied from the 10th January, 1957, in respect of cloth used in the manufacture of garments and wearing apparel. Doubts have been expressed about the validity of exempting garments and wearing apparel from the levy of duty as the proviso appeared to apply to cloth alone and not also to garments made therefrom. In these circumstances, it is proposed to amend Section 3 of the Act retrospectively from the

(SHRI A. C. GEORGE)

10th January, 1957, so as to specifically provide that no additional excise duty shall be levied on garments or wearing apparel made out of cloth and exported out of India.

Section 5(2) (e) of the Khadi and Other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953 also empowered the Government to exempt such varieties of cloth from the payment of additional excise duty as were exempt from excise duty under the Central Excise and Salt Act, 1944. Cotton fents were exempt from payment of excise duty when the Act came into operation. As a result of 1960 Budget changes, full exemption in respect of 'Fents' was withdrawn and replaced by a token levy of Central Excise on weight basis. As such this item became liable to the payment of additional excise duty under the provision of the above Act. Under executive instructions, however, fents were continued to be exempt from payment of cess. A similar situation arose as a result of 1962 Budget changes in respect of:

- (i) cotton fabrics produced on handlooms or in powerloom units with 1 to 4 powerlooms were subjected to processing duty if processed with the aid of power;
- (ii) rayon or artificial silk fabrics produced on handloom were subjected to the prescribed duty if processed with the aid of power; and
- (iii) woollen fabrics produced on handlooms were subjected to the prescribed duty if processed with the aid of power.

Executive instructions were issued to the effect that though the above categories of cloth had become liable to the payment of additional excise, the Government did not intend to levy any additional excise duty on them under the Khadi and Other Handloom

Industries Act. It had been pointed out that the Central Government is not empowered to grant any exemption under Section 5(2) (e) of the Act, from levy of handloom cess in respect of those fabrics which are not wholly exempt from the duty of excise leviable under the Central Excise and Salt Act, 1944.

Under the rules made under Section 5(2)(e) of the Act on the 25th July, 1953, all varieties of cloth which were for the time being exempt from the duty of excise leviable under the Central Excises and Salt Act 1944, were exempted from the additional excise duty leviable under the Act. Certain varieties of cloth were exempted from the payment of duty of excise under the 1944 Act with effect from the 1st of March, 1969 and in view of the rules aforesaid the additional excise duty was also not payable in respect of those varieties of cloth. But as the intention was not to exempt such varieties of cloth from the payment of the said additional duty, a notification was issued on the 7th July, 1970 to the effect that the said rules will not apply to these varieties of cloth. In the meantime, the additional excise duty has been collected from the manufacturers of these varieties of cloth. It is therefore, necessary to regulate and validate these collections made between the 1st March, 1969 and the 6th July, 1970.

The object of the Bill is to amend section 3 and section 5(2) (e) of the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953 granting exemption from handloom cess on cloth used in garments or wearing apparel exported out of India and also in cases where the fabrics are partially exempt from the excise duty imposed under the Central Excises and Salt Act, 1944. It also provides for regulation and validation of the collections of additional excise duty under the Act made between 1st March, 1969

and 6th July, 1970 in respect of certain varieties of cloth just referred to above by me.

Sir, with these words, I move the amending Bill for the consideration of this House.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953, be taken into consideration."

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Ausgram): Mr. Chairman, Sir, for the purpose of meeting the development of khadi and other handloom industries, the Government of India decided in February, 1953 to levy an additional Excise Duty on cloth produced by the textile mill industries under the Khadi and Other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty of Cloth) Act of 1953. The additional excise duty was collected on all cloth produced by the mills except that which was exported out of India.

Sir, the handloom industry occupies a place of prominence in our country's economy because it is the largest cottage industry producing means of livelihood to about ten million persons, particularly in the villages, and meeting nearly one-third of the country's requirements of cloth. In our country, the number of handlooms working on all types of fabrics would be 26 lakhs. By this amendment it is felt that this will encourage to export the readymade garments and will give some employment in the ready-

made garment industry. But I am afraid, the textile mill owners will misuse the provision and will encourage corruption, because, instead of producing the ready-made garments for export, they may sell cloth within the country. It should be checked cautiously.

In 1966, the Government of India passed an order based on the recommendation of the Powerloom Enquiry Committee of 1964, prohibiting mills and powerlooms from producing coloured sarees both yarn-dyed and piece dyed. Mills and powerlooms are openly defying these orders. Government should come forward to implement the order to protect the handloom industry.

There is acute crisis in the handloom industry for want of yarn and Government is not giving sufficient protection for this industry. Thousands of handlooms are closed down. Lakhs of weavers are unemployed, and they are starving in the street. Recently, for the supply of yarn and for sufficient protection of the industry, in Santipur district of Nadia, West Bengal, thousands demonstrated before the SDO against the Government's policy. In Bishnupur and Senamankhi in the district of Bankura, hundreds of handlooms are closed. They are also starving now, and they have started a movement to save the handloom industry from utter destruction.

In Uttar Pradesh, several crores worth of handlooms production is lying in the godown. In Maharashtra, in Kerala and in Bihar and in West Bengal and in Tamil Nadu, several crores worth of handloom goods is lying unsold and they are facing unprecedented crisis in the handloom industry.

So, I request Government to take effective and concrete measures to save the handloom industry from disaster and thus save the lives of millions of handloom workers and their families.

[Shri Krishan Chandra Halder]

Government should take the responsibility for proper supply of yarn and at the controlled price and help them in finding a proper market. Government should take the responsibility for the export of the goods and finally for giving them sufficient financial help, because then only this industry can be saved to some extent.

*SHRI J. MATHA GOWDER (Nilgiris): Hon. Mr. Chairman, on behalf of my party, the Dravida Munnetra Kazhagam, I would like to say a few words on the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Amendment Bill.

Sir, the principal Act was passed in 1953, i.e., nineteen years ago. After four years, in 1957 the exemption from the levy of additional excise duty was given to the cloth used in the manufacture of garments and wearing apparel. In 1972, fifteen years after this, this Amendment Bill has been introduced to give legal backing to this exemption from additional excise duty. Similarly, legal recognition is sought to be given through this Bill for another exemption from additional excise duty given in 1960. I should pay my compliments to the hon. Minister for bringing this Bill at least after 15 years to give legal support to the exemptions given in 1957 so that the khadi and handloom industry are not affected in any way. I would like to request the hon. Minister to take this opportunity and see that, if there are any other drawbacks being suffered by the khadi and handloom industry, they are also removed.

Sir, the khadi and handloom are the main means of livelihood of millions of our people living in rural areas, Mahatma Gandhi, the father of our nation, realised the importance of khadi and handloom in the development of rural areas of our country and started this programme. It is our sacred duty to see that this industry thrives and we should ensure that all necessary incentives are

given for its development. The Government should also formulate fresh proposals for augmenting the export of khadi and handloom. In 1970-71 the value of handloom export from the country was of the order of Rs. 10 crores, out of which the share of Tamil Nadu was Rs. 7 crores. I say this to show that the handloom industry is the mainstay of Tamil Nadu and millions of people are engaged in this industry. The Tamil Nadu Government spend annually Rs. 4 lakhs on the training of handloom weavers. Every year 2000 houses are being constructed for them. In 1969-70, a sum of Rs. 16 lakhs has been given as loan to the handloom weavers. The Tamil Nadu Government is straining its every nerve to assist the handloom weavers in all respects.

From August 1 this year, the Central Government introduced a voluntary scheme for the distribution of yarn handloom weavers. But, the Foreign Trade Minister, Shri Mishra had stated that if this voluntary scheme did not work effectively, he would not hesitate to take legislative measures for direct distribution of yarn to the handloom weavers. He stated this in this House. I would like to know from the hon. Minister Shri George, what steps have been taken by the Government for direct distribution of yarn to the handloom weavers. Mr. George hails from Kerala and he must be aware of the things happening in Coimbatore. Due to the mismanagement of the mill-owners, many spinning and weaving mills remain closed. When distribution of yarn would be implemented that this voluntary scheme of distribution of yarn would be implemented by these mill owners? I would urge upon the Government that the yarn must be distributed directly to the handloom weavers and for this necessary legal measures must be formulated by the Government forthwith.

It has also been found that there is

*The original speech was delivered

in Tamil.

ever-widening market for handloom goods in France, West Germany, Denmark and such other European countries. I would like to know the steps taken by the Government for exploiting this demand for handloom goods in foreign countries. You know that there is no alternative to the export of handloom goods because, there is no chance for consuming all the stocks within the country on account of stiff competition from mill-made cloth. The whole industry will perish if immediate steps are not taken for exporting the stagnant goods. In spite of repeated demand from the people that certain specific items like saris in colour border should be exclusively reserved for the handloom sector, the Central Government are hesitant. In 1970, 37,000 lakh metres of handloom fabric were produced and in 1969-70 622 lakh metres of khadi were produced in the country. But the number of workers has come down from 13 lakhs to 11 lakhs. The main reason for this drop is non-availability of yarn in sufficient quantity.

In Western countries, khadi has caught the imagination of the people. Steps should be taken to utilise this chance. The Central Government should co-ordinate their programme of financial assistance and export incentives with those of the State Governments so that the khadi and handloom weavers are able to derive the maximum benefit from them.

I support this Bill with these few words.

SHRI S. A. KADER (Bombay—Central—South): There are no two opinions about the amendment Bill brought forward by Government. Without going into the figures and details, I would like to touch upon the general aspect of the khadi and handloom industry for which protection or a kind of subsidy is sought to be given by this Bill.

Sir, khadi is a product which can very well help our villages which

are not one or two but about six lakhs in number in our country, and they can revolutionize the economy of all those villages. When Gandhiji introduced the words 'khadi' and 'charkha', at that time, it was a national symbol. It was the uniform of the freedom-fighters. It was an emotional acceptance of khadi. But now things have changed. Now, that emotional or national uniform has no longer any meaning as far as khadi is concerned. But khadi is certainly still a basic factor in the economy of the villages. Therefore, I would like to draw the attention of the Government to the fact that up till now whatever has been done has been a spoonfeeding of the khadi industry. You are taking some money from somewhere and giving it to khadi for subsidisation or rebate or whatever you call it. But how long is it going to last? How long are we going to appeal to the people to buy khadi on an emotional basis? How long are we going to subsidise khadi or the handloom industry by way of taxing the others and giving the money to khadi? What I feel is that if a proper, scientific study is made and khadi is put on an industrial base, as it should be put, then alone, I think, khadi can survive. Otherwise, I am afraid khadi will not survive any longer than what is being done for it today.

In the villages, there is unemployment or part-unemployment. Part-unemployment can be redeemed by the charkha and by khadi production. Are we doing that? Does every village or villager, where cotton and other things are grown, have this type of things, and if it is not there, why not? Have we planned a proper machinery? I know there is the khadi Board and there is the Gram Udyog. But have they gone into it in a scientific manner by which every village should know why type of yarn or kind of yarn they have to produce? It could be modernized also. It is said that you should spin with your hand. That

[Shri S. A. Kader]

does not any longer exist. Wherever electricity is available, possibly there can be spindles—four, five seven or 10,—put in a small cottage and from there we can spin. I am told that if one spindle of such a type is put, that family will receive about Rs. 6 to Rs. 7 per day. This is a substantial sum in the economy of the life of the villager. How can this be done?

What I am thinking is this. Our Government have got experts, but there should be real experts. They should plan out as to how khadi should be properly organised and the village should be the base of khadi. That should be the first thing. Khadi requires cotton. Cotton is to be supplied through what you call spinning pulleys. How will you first arrange for this? How many villages are to get this? There is part-unemployment or full unemployment in many villages, and they are to be given according to the type of demand they have got in the market; what type of count they should spin at their places? You must find out where the weaving centres are, and whether they can give these things. Weaving centres should also be scientifically planned and in that manner alone, if the total scheme is framed, and if every village unit knows what it has to do, can khadi come up to the expectations of the people.

Today, khadi is being sold. I know, because we are purchasing it. Its cost price is not so much as it was before. The difference earlier was much, because the mill prices have gone up. But that is not helping the thing. Khadi must be able to hold competition with the others in the market. It cannot stand by itself completely, of course. That also I know. But why not it stand competition? Looking to the unemployed man-power we have in our country, I think if properly planned, khadi can even stand competition

and regenerate our villages, which is the essence of the khadi industry.

I am not talking very emotionally about it. I still believe that only when the villages in our country are regenerated economically, only when they become economically sound India can prosper; otherwise not. It cannot prosper in the few cities scattered over the sub-continent. While accepting the basic idea behind this amendment, I appeal to the Government that a high-powered committee or commission should be constituted by the Government to go into the whole aspect, economic, scientific etc. and submit proposals to the Government as to how to get handloom industries rehabilitated on a planned, scientific basis. With these words I support the Bill.

श्री झारखंड राय (घोसी) : मान्यवर, हंडलूम का कारोबार हमारे देश का एक प्राचीन कारोबार है। हमारे देश में डेढ़ करोड़ आदमी इस काम में लगे हुए हैं। उनकी जीविका का एक मात्र साधन हंडलूम और पावरलूम में काम करके रोटी कमाना है। खुद हमारे यूपी में बानीस लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं और उनके परिवारों के भरणपोषण का एक मात्र यही साधन है और इसी साधन पर वे निर्भर करते हैं। लेकिन सरकार की नीति हंडलूम और पावरलूम के बारे में एक सौतेली मां जैसी नीति रही है। पूँजपतियों के दबाव में आकर हंडलूम और पावरलूम को न मालूम किस के रहम और कर्म पर छोड़ दिया गया और वे धीरे धीरे मिटने के किनारे पहुँच चुके हैं।

मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश में बानीस लाख और बिहार में बीस लाख आदमी इसी से रोजी कमाते हैं। आज बुनकरों की हालत बहुत दयनीय हो चुकी है। हजारों बुनकर ऐसे हैं जिन के घरों पर फाकाकशी हो रही है। कारण यह है कि उनको सूत बेचना महंगे दामों पर लेना पड़ रहा है। मामली

सूत भी सवाई कीमत पर मिलता है उससे कम पर नहीं पहले के मुकामों में। स्टेपल सूत जिसे कहते हैं, जो रेशमी सूत है वह ड्योडे और पोने दो गुने दामों पर मिलता है। स्टेपल सूत जो आम तौर पर इस्तेमाल होता है और जो सी रुपये में मिलना चाहिये। वह दो सौ से लेकर 214 और 215 रुपये तक पहुंच चुका है। इतने महंगे दामों पर जब सूत मिलता है और जो बहुधा ब्लैंक में मिलता है, उसके बनाए हुए कपड़े की खपत की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। नतीजा यह है कि केवल उत्तर प्रदेश में चानीस करोड़ का कपड़ा डम्प पड़ा हुआ है और उसको बेचने की सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाई देश में या देश के बाहर। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में पहली मार्च से लेकर 24 जुलाई के बीच में आज के प्रजातंत्रीय यु। में आन्दोलन के जितने भी तरीके हैं वे सब इस्तेमाल किये गए हैं। बड़े बड़े बुनकर सैटरों पर प्रदर्शन, हड़तालें, बन्द आदि हो चुके हैं। 22 तारीख को उत्तर प्रदेश में बुनकरों ने ऐसा विराट जलूस निकाला जैसा उन्होंने इतिहास में पहले कभी नहीं निकाला था। पांच अप्रैल, को 45 व्यक्तियों का एक डेपुटेशन प्रधान मंत्री से मिला था, श्री एल एन मिश्र तथा अन्य मंत्रियों से मिला था और उन से उसने आग्रह किया था कि हर प्रकार का सूत उन्हें सस्ते दामों पर मुहैया किया जाए और उनके बने हुए माल की खपत की पूरी व्यवस्था की जाए। डेढ़ करोड़ आदिमियों का यह सवाल है। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या चानीस लाख और बिहार में बीस लाख है। इनकी रोजी रोटी छिन गई है। ये बेकार हो गए हैं। इन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इन सब की कोई ठोस व्यवस्था सरकार नहीं कर सकी है। इस व्यवसाय को बचाया जा सके, इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया है, इसके फलने फूलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसके बढ़ने और विकसित होने का कोई प्रश्न ही

नहीं है। आज इसके सामने इसके जीने का सवाल है, जिन्दा रहने का सवाल है। जो नीति चलाई जा रही है, उसके वसते यह व्यवसाय जिन्दा नहीं रह सकता है। मुझे एक कहावत याद आती है। एक बिजड़े के अन्दर एक शेर, एक भेड़िया और एक मेमना अगर छोड़ दिया जाए और सब को कहा जाए कि आप प्रेम भाव से रहो तो क्या वे रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। पहले भेड़िया और शेर दोनों मिल कर या दोनों में से एक मेमने को खा जाएंगे और बाद में शेर भेड़िये को खा जाएगा। अन्त में केवल शेर ही बाकी बचेगा। यही नीति आपने हैंडलूम और पावरलूम के बारे में अपनाई है। लैसेज फेयर की, मुक्त व्यापार की नीति आपने अपनाई है। इसके अनुसार हैंडलूम पावरलूम और बड़ी बड़ी सूत मिलों को आपने खुला छोड़ दिया है। नतीजा यह हो रहा है कि हैंडलूम बुरी तरह मिट रहा है और पावरलूम भी मिटने के करीब पहुंच चुका है। केवल सूती मिलों के बड़े बड़े मिल मालिक देश में जिन्दा रहेंगे। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि कुछ रिजर्वेशन कर दिया जाना चाहिये। हैंडलूम के लिए कुछ क्षेत्र रिजर्व कर दिया जाना चाहिये। इस तरह के बिल ला कर और छोटे छोटे परिवर्तन करने से कोई सुधार नहीं होगा। यह निश्चित कर दिया जाये कि कुछ तरह के कपड़े हैंडलूम वाले ही बनायें। इस तरह उनकी रोजी चल सकती है। इसी तरह पावरलूम के लिए भी कुछ तरह के कपड़े रिजर्व कर दिये जायें, जो केवल पावरलूम वाले ही बनायें। यह रिजर्वेशन ही एक ऐसा तरीका है, जिस के ज़रिये हम हैंडलूम और पावरलूम को मिलों के कामपैटेशन में भगने से बचा सकते हैं।

मैं अपने जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बुनकर सैटर मऊ में जवागिरा की स्वदेशी काटन

[श्री झारखंडे राय]

मिल है। वह एक सूती मिल है। हमारे प्रदेश में काफी समय से यह मांग उठती रही कि वहां पब्लिक सेक्टर में सूत का एक कारखाना खोला जाये। सरकार ने उस को नहीं माना और जयपुरिया को वह कारखाना खोलने की अनुमति दे दी। इस प्रकार वहां सूत का कारखाना खुला, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में। वह कारखाना मऊ में है उस के लिए सस्ते रेट पर जमीन दो गड् और अन्य तमाम सुविधायें दी गई। लेकिन वहां जो सूत बनता वह मऊ के बाहर खपता है और मऊ के बुनकरों को एक गज भी सूत नहीं मिलता है।

यही स्थिति उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे देश में है, जिस का निराकरण तभी हो सकता है, जब कि इस मिक्स्ड इकानोमी में, जिस को सरकार छोड़ना नहीं चाहती है, हैंडलूम और पावरलूम के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाये, ताकि वे जिन्दा रह सकें।

जहां तक खादी का सवाल है, मैं समझता हूं कि वह केवल सरकार के रहमो-करम पर और उस की सहायता से चल रहा है। इस से लाखों सूत कातने वालों को लाभ जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि खादी कमिशन और खादी का काम कुछ उपेक्षित, तिरस्कृत और अवहेलना के पात्र कांग्रेसियों के जीने-खाने का साधन मात्र हो कर रह गया है। फ्री काम्पीटीशन में वह बुरी तरह पिट रहा है और अगर उस को सरकार की ओर से सबसिडी मिले, तो वह चल नहीं सकता है।

मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि बुनियादी नीतियों में परिवर्तन किया जाये। अगर देश के प्राचीनतम व्यवसाय को बड़े बड़े सूती मिल-मालिकों और पूंजीपतियों की मार के सामने जिन्दा रखना है और उस में लगे हुए डेढ़ करोड़ आदिमियों को मरने से बचाना है, तो उस का एकमात्र उपाय यह है कि सरकार अपनी पूंजीवाद-परस्ती को

छोड़, पूंजीपतियों के दबाव को अस्वीकार कर और रिजर्वेशन के द्वारा इस व्यवसाय को बचाये।

सभापति महोदय : श्री साठे।

श्री हुकुम चन्द कछवध (मुरेना) :

सभापति महोदय, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है — अब सदन में कोरम है। श्री साठे।

श्री बसंत साठे (अकोला) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय जो बिल लाये हैं, वह बड़ा महत्वपूर्ण है, हलाकि उस का दायरा बहुत सीमित है, और मैं उस का स्वागत करता हूं। लेकिन आज इस सारे प्रश्न की बुनियाद में जा कर हमें विचार करना होगा। हम अपने देश से गरीबी हटाने की बात करते हैं। यदि गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन बुनियादी चीजें मिल जायें, तो गरीबी हट जायेगी। इस देश में सब से ज्यादा लोग रोटी अर्थात् अनाज पैदा करने के काम में लगे हुए हैं। उस के बाद सब से ज्यादा लोग कपड़ा निर्माण के काम में लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि हैंडलूम क्षेत्र में डेढ़ करोड़ लोग काम करते हैं और वे अपने घरों में, अपनी छोटी छोटी कुटियाओं में साड़ियों और चादरें वगैरा रह बना रहे हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी सरकार ने कपड़े के सबाल के बारे में सारी राष्ट्रीय व्यवस्था और योजना के सन्दर्भ में विचार किया है। हम स्वदेशी की बात करते हैं। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो खादी के रूप में स्वदेशी उस का एक सिम्बल बन गया था। आजाद होने के बाद स्वदेशी के माने ये हैं कि हमारे देश में भी कपास पैदा हो, उस से हम एक अच्छे ढंग से कपड़े का निर्माण करें। उसकी बुनियाद यह होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले।

आज देश के सामने सब से बड़ा सवाल बेकारी का है। देशांत में बेकारी बढ़ रही है। आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि जो टेक्सटाइल मिलें अधिकतर कपड़ा और सौ फीसदी यान पैदा करती हैं, उनमें सात लाख से ज्यादा लोगों को काम नहीं मिलता है, जब कि हैडलूम में डेढ़ करोड़ लोगों को एम्प्लायमेंट मिला हुआ है। सात लाख लोग देश का 60 फीसदी कपड़ा और 100 फीसदी यान पैदा करते हैं। जबकि हैडलूम के डेढ़ करोड़ लोग केवल 40 फीसदी कपड़ा बनाते हैं।

हम विकेंद्रित अर्थ व्यवस्था की बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देने की बात करते हैं। जापान का उदाहरण दे कर यहां काटेज इंडस्ट्रीज लगाने की बात करते हैं। देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देने के लिए कपड़े से अच्छी कौन सी काटेज इंडस्ट्री हो सकती है? अगर मैं दूसरे देशों का नाम लूं, तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन हमारे देश में स्वदेशी की यह डिसप्लिन लाई जानी चाहिए कि हमारे देश में जो कपास पैदा होती है, उस से निमित्त कपड़ा ही देश में बिकेगा। हमारे देश में जो कपास पैदा होती है, उस में से 40 या 60 काऊंट का धागा निकलता है। हमारे देश के गांव गांव में 40 से 60 काऊंट का धागा निकालने के लिए यंत्र लगा दिये जायें और उस धागे से कपड़ा बुना जाये। मैं नहीं मानता कि गांधीजी यंत्र के खिलाफ थे। गांधी जी के बारे में यह कहना बहुत बड़ा झूठ है। क्या जरूरत है कि मिलों के लिए सौ करोड़ रुपये का कपास बाहर से इम्पोर्ट किया जाये। और उस का नतीजा क्या होता है? यह किया जाता है कि निर्यात के नाम पर कि इस का कपड़ा निर्यात किया जायेगा। पर आप जानते हैं कि सारा जो कपड़ा बनता है इम्पोर्ट लोग स्टेपल काटन का फाइन और सुपर फाइन

वह 80 प्रतिशत कपड़ा इस देश को अन्दर खपाया जाता है। बाहर जो जाता है जो आप भर्न करते हैं वह सारा स्टैंडर्ड क्लास, कोर्स क्लास और मीडियम क्लास से करते हैं जो मोटे धागे का बना हुआ होता है। उस से सारा एक्सपोर्ट भर्निंग आप करने हैं। फिर आप दलील देते हैं कि हम को मूडान से या और जगहों से कपास लेना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है, कुछ माल हम उन को देते हैं, कुछ उन से लेते हैं। बहुत अच्छा है। यदि ऐसा है, भी तो वह सारा कपास है वह बाहर का बाहर रशिया और दूसरे देशों को बेच दीजिए और उसका पैसा लीजिये, उसको अन्दर लाने को जरूरत नहीं है। उसे यहां ला कर हैडलूम वालों को कम्पीटीशन में डालने की जरूरत नहीं है। आज हैडलूम वालों की क्या हालत है, वे किस मौत मर रहे हैं? ज्यादातर लोग हैडलूम का काम करते हैं, वे खटाऊ मिल की साड़ी के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। तो फिर वे भी सी नम्बर का सूत चाहते हैं, उनके लिए लोग स्टेपल काटन चाहिये, सूझानी इजिप्शियन या भ्रमरीकन। वह स्पिनिंग मिल को दे नहीं पाते हैं। जब उनको वह नहीं मिलता है तो कौन सी साड़ी वे बनाएंगे और उनकी साड़ी कैसे बिकेगी बाजार में? यू हैवनेड एमैस आप टेक्सटाइल इन दिस कंट्री। इसलिए आपको सारे टेक्सटाइल पर विचार करना होगा इसलिए कि आप कभी भी किसी भी पंचवर्षीय योजना में कपड़े के गज का पर कैपिटल टारगेट अभीम नहीं कर पाए हैं। इसलिए नहीं कर पाए हैं कि यह जो इंटरनल कंटेडिक्शन है उसकी बजह से नहीं हो पाता है। यह जो आप इम्पोर्ट करते हैं उसकी बजह से ज्यादा कपास यहां पैदा नहीं होती। इस वर्ष किसान ने 65 लाख गांठों को जखीरा पैदा कर दिया तो आपने ऐसा तमांचा किसान के मुंह पर मारा, उससे कह दिया कि अच्छा, ज्यादा कपास पैदा किया इसलिए दाम कम मिलेगा, जाओ मरों। तो कैसे ज्यादा कपास वह पैदा करेगा?

[श्री बसंत ठाडो]

इसलिए इस फारेन कम्प्रीशन से बचिये, इम्पॉर्ट आप बिस्कुन बन्द कर दीजिए और वह सी करोड़ रुपया किसान को दीजिए जिससे बड़ उपाश कास पैश को, जो कपास देश में पैश होगी, उसी का कपड़ा बनेगा और वही सारे देश के लोग पहनेंगे। हैडलूम और खादी को बचाना चाहते हैं तो एक बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा कि सारी रंगीन साड़ियां आप हैडलूम क्षेत्र के लिए निर्धारित कर दीजिये, कोई जरूरत नहीं है कि मिलों में ये साड़ियां बनें। आखिर ये कीा सो साड़ी पैश करने में, वही फाइव और गुरर फाइव। हमारे देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है जिस में 90 प्रतिशत गांवों में रहती है। वे हैडलूम की साड़ियों पहनेंगी। गहरों में रहने वाली कुछ महिलाओं का लिबास आजकल कुछ और बनने लगा है, वे पैट भी पहनने लग गई हैं लेकिन फिर भी ज्यादातर तो साड़ियां ही पहनेंगी कुछ साल। इसलिए सारी रंगीन साड़ियां हैडलूम के लिए रिजर्व कर दें और छोटी पावरलूम के लिए रिजर्व कर दें और बाकी का सारा टेरिलोन इत्यादि पैटों का कपड़ा मिलों के लिए रख दिया जाय। इससे मिलें भी नहीं बनेंगी। जितना प्राटोमेंशन करना है कर लें और हम लोगों को बचा लें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हैडलूम को बचाने का। यह सबसिडी या थोड़ा सा लोन इत्यादि इधर उधर दे रहे हैं, यह मराज को थोड़ा सा मरिया का इन्वेन्शन दे रहे हैं और उसको मरन से बचा रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। यह सब से बड़ा अन्याय इस सबसे बड़े एम्प्लायमेंट और रियेन्टेड इंडस्ट्री के साथ है। आज आप मिल सेक्टर के इंड्रेस्ट के स्लेव बने हुए हैं जब तक आप इस सेक्टर के इंड्रेस्ट से लोहा लेने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आप इस से छुटकारा नहीं पा सकते। यह तैयारी आप को करनी होगी तभी यह डॉ-लेट्रानाइज्ड एम्प्लायमेंट और रियेन्टेड

काब इस बड़े से बड़े सेक्टर में आप दे सकते हैं और कपास का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कलाश का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यह बेरी आप से बम्प प्रार्थना है।

श्री अरुण सिंह बोहरा (बार) : यह जो संशोधन खादी और हैडलूम के लिए आया है इस में शक नहीं कि यह स्वागत के योग्य है। लेकिन इतने विलम्ब से यह आया यह बड़े दुःख की बात है। जब हम खादी और हैडलूम की हालत देश में देखते हैं तो इस वक्त उन में सुदंती छपी हुई है और ऐसी समस्या खड़ी हो गई है देश में कि इन को कोई भी उत्साह नित ढांसे आजादी के बाद मिलना चाहिए था, वह प्राप्त नहीं हुआ। कोई भी संस्था जो हैडलूम की है या खादी की है अगर हम उन के तमाम कारोबार को देखें तो वह विदेशी जो कारखाने हैं जो बस्त्र बनाते हैं उन के मुकाबिले में कुछ भी नहीं है। भारत को यह गौरव होना चाहिए था कि आज स्वदेशी जो खादी है वह हमारी एक राष्ट्रीय पोशाक बनती। ऐसा एक गौरव उसे प्राप्त होना चाहिए था। परन्तु वह नहीं प्राप्त हुआ। फिर भी आज यह संशोधन जो पेश हुआ और शासन का ध्यान इस और आकर्षित हुआ कि इस के विकास के लिए कुछ करना चाहिए, वह बहुत ही स्वागत योग्य है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस संबंध में पब्लिक एकाउंट्स कमिटी को जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हुई है उसका अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करें तो उन के जो सुझाव हैं या उन में जो त्रुटियां दिखाई गई हैं उन को दूर करने के ऊपर अमल नहीं किया। तो हम क्या समझे कि यह संशोधन करने से क्या एक जादू इस का विकास करने में हो जायगा? इसी प्रकार से जब प्रकाश नारायण को एक कमेटी स्थापित हुई थी और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव पेश किए थे। लेकिन उस तरफ भी ध्यान नहीं दिया

गया। हम बलीभांति जानते हैं यह छोटा सा संशोधन करने से खादी और हैंडलूम की जितनी प्रगति करनी चाहिए वह प्रगति नहीं हो पाएगी। कुछ सख्त कदम इस तरह के बढ़ावे होंगे जिस से भारत की अर्थ व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है, यह सभी जानते हैं क्या अपोजीशन के लोग हों क्या सत्ता में बैठे हुए लोग हों, यह सभी को मालूम है कि खादी और हैंडलूम भारत की अर्थ व्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है। लेकिन फिर भी 25 साल से हम इस की अवहेलना करते आए हैं। इस की बजह से कई आर्थिक समस्याएँ भारत में खड़ी हो गई हैं। यह हम अनुभव करने लगे हैं और उस अनुभव के आधार पर ही शायद सना वालों का ध्यान इधर गया होगा कि इस में अगर हम संशोधन नहीं करेंगे तो हम बहुत नीचे गिर जायेंगे। इसलिए उन का ध्यान इस ओर गया इस संशोधन के रूप में इसलिए मैं इस का स्वागत करता हूँ। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि अगर हमें इस खादी उद्योग को बढ़ाना है तो हमें पिछले अनुभव पर ध्यान देना होगा। खादी कमिशन के बारे में कहाँ पर जो धांधलियाँ हो रही हैं वह भयंकर रूप में हैं और वह शासन के सामने, उस की निम्नह में हैं। उन को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसलिए मंत्री महोदय इस तरह विशेष रूप से ध्यान दें। जो इस वक्त में खादी का उद्योग है जिस के अस्तित्व यह काम चल रहा है वहाँ पर जो न्याय नहीं मिल रहा है उस के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। साथ ही जो सहायता शासन उन को पहुँचा रहा है उस में भी पूरी तरह से नियंत्रण किया जाय ताकि उस का समुचित उपयोग हो सके। इसीलिए मैं बार बार, पिछले वक्त भी जब खादी के बारे में बात आई थी, तो खादी पर बोला था। करोड़ों रुपये की मदद पहुँचाई जा रही है। लेकिन कब तक शासन इस तरह से मदद देता रहेगा। केवल मदद दे कर, सन्निडी दे कर इस उद्योग को

जिन्दा रखना चाहते हैं। यह ही कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस को स्वावलम्बी बनाने के लिए हमें ऐसा बनाएँ कि इसे भारत में गौरव प्राप्त हो और भारत की अर्थ व्यवस्था स्वावलम्बी हो। एक स्वाभिमान के साथ वह उद्योग हमारे देश में चले, इस के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री जाधवराव बीडे (नागपुर) : सभापति महोदय, खादी और हथकरघा के सिलसिले में जो विधेयक सदन में पेश किया गया है, उस पर भावनायें और विचार व्यक्त किये गये हैं। एक सुझाव यह भी प्राया कि हथकरघा का काम करने वाले जो बुनकर हैं उन की हालत, उन की मांगों और खादी के व्यवसाय के बारे में विचार करने के लिये एक समिति का निर्माण किया जाय। मैं इस मिलमिले में थोड़े से समय में जो मुझे इतना मिला है। इतना ही बलवाना चाहता हूँ कि हथकरघे के ऊपर काम करनेवाले बुनकरों की हालत पर विचार करने के लिये पहले एक अशोक मेहता समिति बनी थी। अशोक मेहता समिति ने इस के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट को लोकसभा ने मंजूर किया, उस के बाद रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार, कारनट्रेड मिनिस्टर, और टेक्सटाइल कमिश्नर ने सम्बन्धित राज्यों को एक सूचना भेजी, जो० प्रार० बीजा कि रंगीन साड़ियों हथकरघा पर ही निकाली जायें। लेकिन मसौदा के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उस पर अमल नहीं हुआ और इस सरकार ने यह देखने का भी प्रयत्न नहीं किया कि उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति को ले लीजिये, तमिलनाडू की स्थिति को ले लीजिये, महाराष्ट्र और विदर्भ में चले जाइये—आप को मालूम होगा कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, रंगीन साड़ियाँ अभी भी यन्त्रभान (पावर-लूम) पर निकाली जा रही हैं।

इसका कारण क्या है? इस का कारण यह है कि जो बड़े बड़े मिलवाले हैं, उन

[श्री जांबुवत बोटे]

मिलवालों की तरफ से शासनकर्ता पक्ष को पसंद मिलता है इस लिये केवल इन लोगों को खुश करने के लिये ऐसा हो रहा है। इधर एक तरफ आशवासन दिये जाते हैं, जी० आर० निकाले जाते हैं, इन्स्ट्रक्शन दी जाती है कि रंगीन साड़ियां हथकरघा पर ही निकलेगी, लेकिन दरअसल में होता कुछ और ही है। मैं महाराष्ट्र की बात कहता हूँ—हमारे यहां एक मफतलाल ग्रुप है, यह मफतलाल ग्रुप यन्त्रभाग पर रंगीन साड़ियां निकालता है और टैक्स टाइल उद्योग पर मिलों के कपड़ों पर जो टैक्स लगे हुए हैं, उन से अपने को बचाने के लिये उसने यन्त्र भाग में पूंजी लगाई है। मफतलाल ग्रुप के यंत्र भाग धूलिया में है, इचलकरजी मालेगांव और कई जगह हैं—ऐसे पूंजीवादी लोग जो इस व्यापार में हैं यन्त्रभाग पर साड़ियां निकाल कर फायदा उठा रहे हैं टैक्स बचा रहे हैं और हमारा हथकरघा वाला गरीब बुनकर उन को कम्पीटीशन नहीं कर पा रहा है, तड़प रहा है।

ऐसी स्थिति में आप जो यह विधेयक लाये हैं यह तो इन प्रकार का है कि मरीज मर रहा है, उस को कोरामीन का इन्जेक्शन दे कर कुछ समय जिन्दा रखने की कोशिश की जा रही है। मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि अभी 20 तारीख को आग्रे नागपुर में एक आन्दोलन शुरू हो रहा है। नागपुर—विदर्भ वन्द हो रहा है। लाखों बुनकर और जनता गस्ते पर आयेंगे वे दाने दाने के लिये मोहताज हैं, उनके पास खाने का कोई इन्तजाम नहीं है, हजारों विदर्भ छोड़ कर अहमदाबाद, सूरत चले गये, लेकिन जब वहां भी काम नहीं मिला तो लौट कर इधर उधर ठोकरें खा रहे हैं—ऐसी व्यवस्था आज उन की हो गई है। अशोक-मेहता कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, टैक्स-टाइल कमिश्नर और गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने जो इन्स्ट्रक्शन दी उन का पालन नहीं हुआ। यह विधेयक तो एक प्रकार से मलहम पट्टी है। सिर पर चोट लगी है, खून वह रहा है,

लेकिन पट्टी पांव में बांधी जा रही है। पेजेंट दम तोड़ रहा है, लेकिन उस का कोई इलाज नहीं हो रहा है, और पट्टी पांव की अंगुलियों में बांध रहे हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ—हमारे यहां जो कनिष्ठ अदालत है, उस ने टैक्सटाइल कमिश्नर या केन्द्र सरकार या महाराष्ट्र सरकार का जो आदेश था कि रंगीन साड़ियां पावरलूम पर नहीं निकलेंगी, उस के खिलाफ स्टे-आर्डर दे दिया। वहां के जो बड़े सेठ लोग थे उन्होंने अपने ऐजेंट के द्वारा उस आर्डर के खिलाफ पेटिशन दाखिल की और इस कनिष्ठ अदालत ने स्टे दे दिया। जब कि बम्बई हाई कोर्ट ने टैक्सटाइल कमिश्नर की तरफ से जो आदेश दिया गया था, उस को मानते हुए पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कनिष्ठ अदालतें स्टे नहीं देती लेकिन यहां पर ऐसा हुआ। ऐसी स्थिति में सरकार का कर्तव्य था कि उस स्टे को बेकेट कराती, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की। विदर्भ में एक हंडलम महामंडल है, वह भी स्टे को बेकेट कराने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि वह चाहती है कि पावरलूम से ही रंगीन साड़ियां निकलें, और पावरलूम वालों की तरफ से, मिलवालों की तरफ से जो पैसा उन को दिया जाता है, वह उन को मिलता रहे? इस तरह से हथकरघा वालों को गुमराह किया जा रहा है।

इस तरह का छोटा सा विधेयक ला कर सरकार आप यह दिखाने का प्रयत्न कर रही है कि हम उन के लिये कुछ कर रहे हैं लेकिन इस से उन का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। वास्तव में चुनाव के लिये पैसा लेने और मिलवालों को खुश करने के लिये

प्रयत्न किया जा रहा है। सभापति महोदय, हथकरघा पर काम करने वालों की जो भयानक स्थिति है, आज लाखों लोग तड़प रहे हैं, उन का कुछ इलाज होना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाये जो यह देखे कि हम ने जो आश्वासन दिये थे, जो इस्ट्रक्शन्ज हमने दी थीं उन का कहां तक पालन हुआ है— इस बात की जांच की जाय और उन को अमल में लाने का प्रयत्न किया जाय। विदेश कुलकर्णी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है— यह जानने के लिये कि इन को घागा कैसा मिलता है, क्या भाव में मिलता है, इस से काम नहीं चलेगा। बुनियादी तौर पर उन का कुछ इलाज किया जाना चाहिये, वरना गरीबी हटाओं का नारा एक घोखा है, इस से गरीबी हटने के बजाय गरीब हटता जायेगा।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया): सभापति महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री हुकम चन्द कछवाय: सभापति जो, माननीय सदस्यों को मंत्री महोदय की पुली की शादी में जाना है, यहां पर ऐसा कहा गया था। इसलिये आप सदन को स्थगित कर दीजिये।

सभापति महोदय: हमें उसकी कोई सूचना नहीं है। जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं।

श्री चन्द्रिका प्रसाद: यह उद्योग प्राचीन और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस देश के पिछड़े भागों में हैंडलूम और खादी उद्योग देश की बहुत सेवा कर रहा है। बहुत से गरीब लोग इसके द्वारा मजदूरी पा रहे हैं। लेकिन जितना ध्यान इस उद्योग की तरफ जाना चाहिये था वह नहीं गया है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों

में और बिहार के पश्चिमी जिलों में लोगों को इस उद्योग के द्वारा मजदूरी मिल रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 20 हजार लोगों की कम से कम एक रुपया डेढ़ रुपया मजदूरी मिलती है। मंत्री महोदय ने बताया है कि जो गांधी आश्रम चल रहे हैं उन्हें जितनी सेवा दश की करनी चाहिये थी उतनी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। जितनी मजदूरी लोगों की मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल रही है। इसलिये इसमें कहीं पर कटियां हैं जितनी छानबीन होनी चाहिये एक्सपर्ट्स को बिठाकर यह पता लगाना चाहिये कि गांधी आश्रम को क्यों घाटा पड़ रहा है और लोगों को ठीक मजदूरी क्यों नहीं मिलती है जो वीवर्स हैं उनके लिये यदि सूत की व्यवस्था हो जाये और वे अपने हैंडलूम लगा पायें तो उनको चार पांच रुपए रोज में कम नहीं पड़ेगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय: सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

सभापति महोदय: कोरम के लिये घंटी बजाई जा रही है। अब कोरम हो गया है, माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री चन्द्रिका प्रसाद: मैं यह निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस की एक पार्लामेन्टरी कमेटी बनी थी हैंडलूम और पावरलूम पर जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा भारी स्टाक बिक्री के लिये पड़ा है। यहां पर फारेन मिनिस्टर से मेरा निवेदन है कि वे इस समस्या का निदान करने की व्यवस्था करें। जैसा कि बताया गया कि 10 करोड़ रुपये का हैंडलूम पावरलूम का माल विदेशों को निर्यात किया गया जिसमें से केवल तामिलनाडू से 7 करोड़ का निर्यात किया गया और तीन करोड़ में सारे देश का

[श्री धनंजय प्रसाद]

हिस्त रहा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना कि देश के जो पिछड़े हुए भाग हैं वहां से हैंडलूम और पावरलूम के माल के निर्यात की व्यवस्था होनी चाहिये। वहां का निर्यात सबसे पहले होना चाहिये इसके अलावा हैंडलूम और पावरलूम में अनुदान और सहायता दी जाये जैसा कि कमेटी ने कहा है कि चार हजार पावरलूम के लिये और दो हजार हैंडलूम के लिये इसके साथ साथ उनके लिये सूत की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अलावा उद्योग मंत्री इस बात की भी व्यवस्था करें कि उनको टेक्निकल एडवाइस मिले, बढ़िया डिजाइन निकाल कर उनको दिये जायें तथा खादी और हैंडलूम के लिये कुछ ग्राइंट्स को सुरक्षित रखा जाये।

साथ ही जैसा कि कमेटी ने सिफारिस की है, एक हैंडलूम बोर्ड बना दिया जाये ताकि सारी व्यवस्था हो सके, उनको अधिक सहायता मिल सके सूत मिल सके और काफी मात्रा में सूत की दुकानें खोली जा सकें तथा उनमें ब्लैकमार्केटिंग न हो सके। इस प्रकार ये इस संबंध में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसको करने की व्यवस्था की जाये।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE): Discussion on the amending Bill has focussed attention on quite a few problems vitally concerning the khadi and handloom industry. I am extremely thankful to hon. members who have taken this opportunity to give valuable suggestions to highlight some of the grievances concerning the people in the handloom sector. Hon. members were very particular that the maximum aid and facilities must be given to the khadi and handloom weavers.

In this context, I may point out that most of the aid and facilities

given to this sector is channelled through State Governments. In saying this, I am not trying to disown the responsibility.

I would like to take up only three or four points which have been particularly repeated and hammered by hon. members. Shri Dhote was suggesting that we were thinking of this Bill as the diagnosis of the disease. We never meant it that way. Quite possibly, this occasion was utilised by hon. members to focuss attention of the House and the country on the plight of handloom weavers. I am sure the hon. member is aware that coloured saris are, as per a statutory decision of Government, reserved for the handloom sector. There were some cases filed in courts. Though the High Court rejected one petition, some other cases are still pending. We have written to State Governments—in fact, the Prime Minister herself wrote to the Chief Ministers—to sure rigid enforcement of this reservation.

There may be a few cases in some States where the decisions of the High Courts or of the lower courts may be running parallel or contradictory. I am not quite aware of that. Anyway, I am thankful to the hon. member for pointing out this particular anomaly. But we have repeated to the State Governments to see that this reservation of coloured saris for handlooms be rigidly enforced. You will appreciate that it is for the State Governments to see that this is observed in letter and spirit.

In fact, we are thinking of extending the reservation to more items. Under the chairmanship of the Textile Commissioner, we have set up a working group to go into all these problems. Quite possibly we may be coming up with suggestions which I am sure hon. members will welcome so that this weaker sector of khadi and handloom may be well protected from the bigger sharks.

Shri Vasant Sathe referred to the import of cotton. I am thankful to

him for raising this point in this discussion. The House will be happy to learn that in 1970-71, our import of cotton was to the tune of 8.52 lakh bales involving a foreign exchange of Rs. 110 crores. In 1971-72, it came down to 7 lakh bales taking foreign exchange of only Rs. 91 crores, a reduction in one year of Rs. 19 crores. This year, though the crop situation is not as good as it was last year, there is no alarming situation prevailing and we are hoping that the import will be only 5.5 lakh bales, involving a foreign exchange of only Rs. 71 crores. It is a reduction of another Rs. 20 crores. I am only trying to explain that over a period of two years, the import of cotton has been reduced sizeably. The extent itself is coming down by Rs. 39 crores and the quantity is coming down by three lakh bales.

AN HON. MEMBER: What about the export figures?

SHRI A. C. GEORGE: It is fast picking up. But for the power shortage, we would have been in a very happy situation of crossing the mark of more than Rs. 155 crores, but I am not sure how far it will be reflected by this power shortage. But still we are quite hopeful that our exports will be much higher than last year.

In the year 1970-71, we all know that cotton production was lower. It was only 55 lakh bales. In the previous year, we had a bumper crop, and were able to finish with 68 lakh bales. This year it may not be that much, but even then we are hoping that it would be 62 lakh bales, so that the extent and quantity of import is going to be sizeably reduced. My hon. friend, Mr. Sathe, is not in the House. I just wanted to console him that the figure of import is every year coming down.

Regarding supplies of yarn, we have made arrangements so that, to those weaker sectors, yarn is made available through the Directors of State Industry in the States and their officers.

Our information is that this is working satisfactorily. If there are defects noticed, we will be very happy to welcome suggestions, and I am sure that this particular sector of handloom and khadi involving more than 15 million people will also have the best attention of the Government of India. The suggestions put forward by the Members are welcome, and to the best of our ability we will be taking necessary steps to be of best help to them.

MR. CHAIRMAN: The question is: "That the Bill further to amend the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: There are a few clauses, but there are no amendments. The question is:

"That clauses 2, 3 and 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2, 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 1, the enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI A. C. GEORGE: Sir, I move: "That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed."

श्री राजाबहादुर शास्त्री (पटना): मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि सदन में अभी इस बहस के दौरान यह कहा गया कि 'लगभग डेढ़ करोड़ लोग इस समय पीड़ित हैं जो इस उद्योग में लगे हुए हैं और अगर उनके आश्रितों की संख्या को देखा जाए तो वे कई करोड़ हो जाएंगे। जहाँ तक बिहार का संबंध है वहाँ की स्थिति बड़ी ही दयनीय है।

[श्री रामाबतार शास्त्री]

वहाँ जो बीवर्ज ऐसोसिएसन है, उसके जो मंत्री हैं और जो एम० एल० ए० भी है उन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान के आधार पर फारेन ट्रेड मिनिस्टर श्री मिश्र को एक बिट्टी मैंने लिखी थी और उसके जबाब में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम शीघ्र ही उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। गत बजट सब मैं संसदी महोदय जो यहां बैठे हुए हैं आश्वासन दिया था बहस के दौरान कि हम जो हथकरघा चलाने वाले लोग हैं उनको सूत जरूर देंगे और साथ ही पांच सौ रुपया भी देंगे और जो पावर लूम चलाने वाले हैं उनको पन्द्रह सौ रुपया देंगे। पता नहीं वह आश्वासन कहां चला गया और उसका क्या हुआ।

खादी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। खादी का विकास कतीनों सूत कातने वालों और उनके कर्मचारियों, बेचने वाले जो हैं, दोनों के सहयोग पर निर्भर करता है। यह उद्योग जो अब तक आगे बढ़ता रहा है और आगे भी आगे बढ़ता जा सकता है, उसी दशा में जब दोनों का सहयोग हो। लेकिन आज यह हो रहा है कि जो लोग शासन में बैठे हुए हैं और जो खादी के उद्योग को चलाने वाले हैं, प्रबन्धक हैं, इंतजामकार हैं, वे मनमाना कर रहे हैं और उन्होंने पूरे बोर्ड को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति बना रखा है। इसकी बजह से जैसा कि चन्द्रिका प्रसाद जी ने कहा है कतीनों को पूरा पता भी नहीं दिया जा रहा है। दूसरा पहलू इसका यह है कि खादी भंडारों और गांधी आश्रमों के जो कार्यकर्ता हैं, जो वहां काम करते हैं, वे हड़ताल करने पर मजबूर हो रहे हैं, भूख हड़ताल उनको करनी पड़ रही है, उनके साथ व्यवहार प्रशंसा नहीं होता है, उनकी दिक्कतों को दूर करने की तरफ कोई ध्यान खादी

बोर्ड की तरफ से नहीं दिया जाता है। पैसा यहां से मिलता है और अगर बिहार में इस सबाल को उठाया जाता है तो वहां की सरकार कहती है प्रेसम्बली में कि हम क्या करें, ये तो केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित हैं, वही लोग पैसा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो चीजें हैं इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये क्योंकि हम सब लोग यही चाहते हैं कि यह उद्योग बड़े ताकि कतीनों की और कातने वालों को फायदा हो और जो काम करने वाले लाखों लोग हैं उनको लाभ हो। जो मनमानी चल रही है, उसको आप रोकें और इस उद्योग को आप आगे बढ़ाएं। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बिहार की स्थिति बड़ी भयानक हो जायेगी। वहां यह उद्योग बिल्कुल ठप्प है। वहां दिक्कतें हैं, हड़ताल है, भूख हड़ताल चल रही है और जनरल स्ट्राइक की तैयारी चल रही है। मेरा निवेदन है कि आप इन सब बातों की तरफ ध्यान दें।

श्री सतयास कपूर (पटियाला) : यह विल तो ठीक है, एग्जिमेंट भी ठीक है लेकिन बेसिक प्रॉब्लम जो आज बीवर्ज का है, उसको टैकल नहीं किया जा रहा है। हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने एक एग्जीमेंट कराया था स्पिनिंग मिल्स का और बीवर्ज का लेकिन उसको स्पिनिंग मिल वालों ने नहीं माना। जो रेट साउथ इंडिया में है उस रेट को सारे देश में लगाया गया। सूत की 88 पैसे कीमत भी बढ़ाई गई और यह भी कहा गया कि सी परसेंट प्रोडक्शन बीवर्ज को मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी। लेकिन स्पिनिंग मिल वाले उस एग्जीमेंट पर अमल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जितने एग्जीमेंट मिनिस्ट्री ने करवाए उन पर स्पिनिंग मिल वाले अमल नहीं कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में बड़ी हथ-वर्दी बताई है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का मंशा बीवर्ज को प्रोटेक्शन

देने का है, जो इस काम में लगे हुए हैं उनको बचाने का है। लेकिन स्पिनिंग मिल मालिकों का एटोड्यूड ठीक नहीं है और उनके एटोड्यूड को ठीक कराने में यह डिपार्टमेंट फेल हुआ है, जो एडोमेंट हुए हैं उनकी इम्प्लेंट कराने में यह डिपार्टमेंट फेल हुआ है। नतीजा यह हुआ है कि यह डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री बोजर्ज को पूरी तरह बचा नहीं पाई है और न बचा पाएगी। इस बास्ते में चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब यहां हाउस में यकीन दिलाएं कि पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर बीवर्ज को स्पिनिंग मिल्स के हाथों जिस तरह से परेशान होना पड़ा है, उससे उनको निजात दिलाएंगे और अगर ऐसा नहीं होता है और स्पिनिंग मिल मालिक ठीक रास्ते पर नहीं आते हैं तो तमाम स्पिनिंग के काम को, प्रोडक्शन को वह अपने हाथ में ले और डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने हाथ में ले और उनको हेराफेरी से इन गरीबों को बचाएँ। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस और पूरी संजोदगी से ध्यान दें।

SHRI A. C. GEORGE: In my earlier speech also, I referred to the problem of distribution of yarn. Hon. Members were very particular that yarn must be available to the handloom weavers at reasonable prices. Last April there was a very acute problem regarding the distribution of staple fibre yarn and we took the initiative in calling the representatives of the spinning mills, the State Governments, etc. and it was agreed that the spinning mills would supply yarn on the pattern existing in South India, what we called SIMA pattern. It was agreed that at this price the yarn will be made available to the State Industries officers and through them the distribution will be made. Our information is that State Industries officers are doing these allocations. If there are some specific complaints regarding this, we will be able to look into them. There is no other complaint that we have received from the State Governments.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.21 hrs.

LIMESTONE AND DOLOMITE MINES LABOUR WELFARE FUND BILL

THE MINISTER OF LABOUR AND
REHABILITATION. (SHRI R. K.
KHADILKAR): Sir, I beg to move*:

"That the Bill to provide for the levy and collection of a cess on limestone and dolomite for the financing of activities to promote the welfare of persons employed in the limestone and dolomite mines, be taken into consideration."

Welfare measures to ameliorate the living conditions of the labour employed in the limestone and dolomite mining industry are not generally satisfactory. Statutory welfare funds already exist for coal, mica and iron ore mining industries. Encouraged by the experience of the working of these Welfare Funds, the Government has decided to set up a similar Fund to provide welfare measures for the labour employed in limestone and dolomite mining industry. For this purpose, it is proposed to levy, as a cess, a duty of excise on so much of limestone or dolomite produced in any mine as is sold or otherwise disposed of to the occupier of any factory or as is used by the owner of such mine for any purpose in connection with the manufacture of cement, iron and steel. The rate of cess will be fixed by the Government from time to time within a ceiling of one rupee per metric tonne of limestone or dolomite. The proposed Fund is intended to supplement and not to supplant the efforts of the employers or the State Governments to improve the living conditions of workers and their dependents.

*Moved with the recommendation of the President.